

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) केम्प इन्दौर

क्र 13499-PRR-15

संचालक द भवन्स प्रोमिनेन्ट स्कूल
बाम्बे हॉस्पिटल के पास, पिपल्याकुमार,
तहसील व जिला, इन्दौर

...प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर

श्री दुषार दुबे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 09-11-2015
को प्रस्तुत। ✓

(1). श्रीमती भागवन्तीबाई पति स्व. भेरुसिंह
निवासी- ग्राम पिपल्याकुमार,
तहसील व जिला - इन्दौर (म.प्र.)

1616/09-11-2015

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(2). स्मित पिता श्री महेश पटेल
निवासी- पालिया स्टेशन, तहसील
हातोद, जिला- इन्दौर (म.प्र.)

(3). विकास अपार्टमेन्ट गृह निर्माण संस्था
तर्फे अध्यक्ष - बाबूराव पिता पाण्डु म्हसे,
निवासी - गुलमोहर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

महोदय,

प्रार्थी द्वारा निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील इन्दौर
(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक डेहरिया साहब) के राजस्व प्रकरण क्रमांक
04/अ-13/14-15 में पारित आदेश दिनांक 02/09/2015 के विरुद्ध
नियत समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य :-

(1). यह कि, अनावेदक/प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा अधिनस्थ
न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत
आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3799-पीबीआर/2015 जिला इंदौर

कार्यवाही तथा आदेश


पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

स्थान व
दिनांक

21-02-19

आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री तुषार दुबे उपस्थित।
आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के
आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू
हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता
की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के
अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।
उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष
सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


AAR


अध्यक्ष